

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक- /2020

उज्जैन, दिनांक-05/06/2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण
जिला उज्जैन


विषय-सीआईएस साफ्टवेयर में डाटा हेल्थ कार्ड अपडेट करने के संबंध में।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीआईएस एनसी 3.2 वर्जन में अपने न्यायालय का डाटा हेल्थ कार्ड वर्तमान में दुरुस्त नहीं है जिसे नियमित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त हो रहे है ।

अतः आपके न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के हेल्थ कार्ड संबंधित प्रस्तुतकार एवं प्रवर्तन लिपिक से दिनांक 08.06.2020 से 13.06.2020 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से दुरुस्त करवायें इस हेतु प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रस्तुतकार एवं उनके सहयोग हेतु साक्ष्य लेखक एवं दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक प्रवर्तन लिपिक तथा उनके सहयोग हेतु स्टेनोग्राफर/आपके न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त सहायक ग्रेड-3 की ड्यूटी उक्त कार्य हेतु लगाई जावे तथा डाटा दुरुस्ती उपरांत प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, उज्जैन को प्रेषित करें।

साथ ही ड्यूटी लगाते समय यह सुनिश्चित करें कि कंटेंटमेंट एरिया में निवासरत कोई भी कर्मचारी न्यायालय में उपस्थित नहीं होवे तथा कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जावे।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0) 5/6/2020